


फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्वर

धर्म शरका विपक्षी खीजा
 रसम मुकदमा श ता पत्रावली संख्या 60 सन 2011

01/04/26
 पत्रावली पेश हुई। उपस्थित
 पीठासीन अधिकारी द्वारा/पत्रावली/
 भ्रमण... पत्रावली/क... होने से
 पत्रावली दिनांक 01/04/26 को पेश हार्वे।
 आज्ञा से

 उपखण्ड अधिकारी
 सलूम्वर

Not
Proceed

01/04/26
 पत्रा. पेश हुई। उपखण्ड उपाधीत। वेबेकार
 शरकार की ओर ले भाषितवता। उपाधीत जिन्हेने
 उकरठा नोट पेश करले हुए निवेदन किया कि
 इस उकरठा के उकरठा में माननीय न्यायालय
 RAA उदयपुर का निर्णय है चुकाई जिलकी
 जतियाँ अतिवादी कर। उकरठा कर में पेश कर रखी है।
 अतः उकरठा इसी एतर पर खारिज करमथा
 जावे।

अतः वादी के निवेदन पर उकरठा नोट पेश
 में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसम सुमा
 लेकर दाखिल करतर है।
 आदेश सुते न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर सलूम्वर
 जिला सलूम्वर

